

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,

प्रेषक,

रणजीत कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, इंदिरा भवन, पटना।
बिहार राज्य वित्तीय निगम, फ्रेजर रोड, पटना।
बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम, इंदिरा भवन, पटना।
बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम, मौर्यालोक कम्पलेक्स,
पाँचवा तल्ला, पटना।
बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।
बिहार राज्य वस्त्र निगम, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राज्य कार्यालय, बिहार एवं झारखंड, श्रीकृष्णापुरी, पटना द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मांग की गयी है।

उक्त परिपेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 7818 दिनांक 01.06.16 की छाया प्रति (अनु0 सहित) संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि इसे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजने की कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 6(स0) विविध/प्रति0 (अनु0 जा0/जन0 जा0)-08/2016-3015 /दिनांक-30/06/2016
प्रतिलिपि-उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 2687
दिनांक 10.06.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।



पत्र संख्या-11/आ0-नी0-11-03/2016 साप्र0...7818..

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

2509/10L
3/6/16 सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक-1.6.16.....

विषय :-

उच्च प्राथमिकता

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय, बिहार एवं झारखण्ड, श्रीकृष्णापुरी, पटना द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पत्र दिनांक-18.04.2016 की छायाप्रति सलग्न करते हुए अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में यथावांछित प्रतिवेदन/ऑकड़े एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सभी विभागों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधीन सभी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त ऑकड़ों का संग्रह कर समेकित ऑकड़ा सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-11/आ0-नी0-11-03/2016 साप्र0...7818...पटना-15, दिनांक-1.6.16

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4, 7, 9, 12, 15 एवं 21 सामान्य प्रशासन विभाग को (अनुलग्नक सहित) सूचना एवं एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (अनुलग्नक सहित) विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृपया इसे संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भी प्रेषित कर दें।

सरकार के अपर सचिव।

1254/55
6.6.16

1862/DS/2016
07/6/16

5.4.16-3/16
9/6/16

मो. नं. 10/1/16

07.6.16

07.6.16

1406
07.6.16

07.6.16



Phone: 2540285, 2541185
Fax: 6612 2540285
Toll Free Number: 1800 180 1805
E-mail ID: dncsc@nic.gov.in

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

राज्य कार्यालय, बिहार एवं झारखण्ड
STATE OFFICE, BIHAR & JHARKHAND
189-बी, श्रीकृष्णापुरी, पटना-800 001
189-B, Srikrishnapuri, Patna - 800 001

No.

42/3/2015 - R.U.

Date / दिनांक 18/04/2016

A-5(1)

To,

The Principal Secretary,
General Administration Department,
Govt. of Bihar,
Patna.

Subject: Supply of information regarding representation of SCs and OBCs in State Services and State PSUs Services — regarding.

I am directed to refer to the above subject and to say that the requisite information in respect of representation of SCs and OBCs in State Govt. Services and State PSUs Services in the following format is urgently required for the preparation of Annual Report of the National Commission for Sch. Castes, Govt. of India for the year 2015-16.

Group	Sanctioned strength	Occupancy as on 01-01-2016	No. of SCs	%age	No. of OBCs	%age
1	2	3	4	5	6	7
A						
B						
C						
D*						

* information of Safai Karamchari may please be given separately.

It is, therefore, requested that the requisite information in respect of Bihar State in the above format may kindly be made available to this office of the Commission urgently for further necessary action.

Encl: As above

Yours faithfully,
(S.K. Singh)
Senior Investigator

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और आपसे आशा की जाती है कि आप अनुबंधित समय के भीतर उत्तर दें, अन्यथा आयोग इस मामले को निपटाने में संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने को बाध्य होगा।
Commission is a Constitutional Authority. You are expected to respond within stipulated time, failing which Commission will be constrained to invoke constitutional powers to deal in the matter.